

सू च ना

जिला समाज कल्याण, अल्मोड़ा के पत्रांक सं०C-2070/सं०क०/ छात्रवृ०/2024-25 दि० 22-08-2024 के सन्दर्भ में संस्थान में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व पिछड़ी जाति/ई०बी०सी० (आर्थिक रूप से पिछडा वर्ग) योजनान्तर्गत छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है, कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित समस्त पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2024-25 में छा०वृ० के लिए छात्र-छात्राओं के आवेदनों के नवीन पंजीकरण (Fresh Registration)/ नवीनीकरण (Renewal) हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP)(<https://scholarship.gob.in>) दिनांक 16/08/2024 से 31 अक्टूबर, 2024 तक के लिए खोल दिया गया है। शैक्षणिक सत्र सत्र 2024-25 में छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आवेदन करने के पूर्व निम्न बातों का विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है:-

- 1- सर्वप्रथम छा०वृ० पोर्टल पर अपना One Time Registration (O.T.R) नम्बर जनरेट करें, तत्पश्चात ओ०टी०आर० नम्बर से लॉगिन कर अपना ऑनलाइन आवेदन पर भरकर आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करें।
- 2- छात्र/छात्रा का बैंक खाता आधार सीडिंग करवाया जाना अनिवार्य है चूंकि आधार बेस भुगतान की डी०बी०टी०हेतु Enable करवायें। छात्र/छात्राओं के संचालित बैंक खाते आधार सीडिंग होने के उपरांत छा०वृ० हेतु आवेदन किया जाय।
- 3- छात्र/छात्रा के बैंक खाते को छात्रवृत्ति प्राप्त होने तक चालू रखें।

ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन के पश्चात छात्रवृत्ति आवेदन पत्र की हार्ड कापी व आवश्यक प्रमाण पत्रों को एक सेट में संलग्न कर छात्रवृत्ति कार्यालय (ई०सी०ई० विभाग) में दि० 01/12/2018 तक जमा करना सुनिश्चित करें। ताकि दिनांक 10/12/2018 तक छा०वृ० आवेदन पत्रों को संबंधित जिला समाज कल्याण को अग्रसारित किया जा सके। जिसमें निम्नलिखित प्रमाण पत्र अपलोड किये जायेंगे :-

1. SC/ST के छात्र-छात्रा की अभिभावक की वार्षिक आय रू० 2,50,000/- से कम हो। आय प्रमाण पत्र तहसीलदार से जारी इसी वर्ष का हो।
2. OBC/EBC के छात्र-छात्रा की अभिभावक की वार्षिक आय रू० 1,00,000/- से कम हो। आय प्रमाण पत्र तहसीलदार से जारी इसी वर्ष का हो।
3. स्थाई निवास प्रमाण पत्र।
4. जाति प्रमाण पत्र एवं फोटो
5. पिछले वर्ष उत्तीर्ण होने के प्रमाण पत्र। (दोनों सेमेस्टर की मार्कशीट)
6. कालेज में अध्ययनरत् होने का बोनाफाइड प्रमाण पत्र।
7. OBC छात्रवृत्ति के पात्र छात्र-छात्रा काउन्सिलिंग प्रमाण पत्र।
8. संस्थान में जमा की गई शिक्षण शुल्क की रसीद की छायाप्रति।
9. ई०बी०सी० छा०वृ० आवेदन हेतु सामान्य जाति का प्रमाण-पत्र अनिवार्य है।
10. प्रगति छा०वृ० हेतु अभिभावक द्वारा एकल पुत्री/दो पुत्रीयों हेतु (declarantion) घोषणा प्रमाण-पत्र।
11. छात्र-छात्रा की बैंक पासबुक की स्कैन प्रति।

नोट:- अगर किस छात्र-छात्रा को आवेदन करते समय कोई कठिनाई होती है, तो निम्न पते पर संपर्क करें।

1. टोल फ्री न०- 18001804236 एवं वट्स एप न०- 6395221188

2. आई०टी० सैल देहरादून की ईमेल Swditcell@gmail.com पर मेल द्वारा जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

उपरोक्त प्रमाण-पत्रों को स्कैन कर अपलोड करने के उपरान्त मूल आवेदन पत्र को छा०वृ० अनुभाग (ई०सी०ई० विभाग) कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें, ताकि ऑनलाइन आवेदन पत्रों को समय पर अग्रसारित किये जा सकेंगे।

प्रतिलिपि:-

- निदेशक महोदय को सादर सूचनार्थ।

- प्रभारी सी०सी०एफ०सी० को इस आशय से सूचनार्थ सूचना को संस्थान के वेबसाइट पर अपलोड हेतु मेल द्वारा प्रेषित।

प्रभारी छात्रवृत्ति
बिपिन त्रिपाठी कुमायूँ प्रौद्योगिकी संस्थान,द्वाराहाट

प्रभारी छात्रवृत्ति
बिपिन त्रिपाठी कुमायूँ प्रौद्योगिकी संस्थान,द्वाराहाट